-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमले में वांछित मुख्य आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 10.03.2025 को वादी शमशाद पुत्र यासीन हाल निवासी सिराज कालोनी, गली नं0 41, थाना मण्डी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अशवत पुत्र इसरार निवासी हसन कालोनी, निवासी भूरे वाली मस्जिद, सहारनपुर, 2. अब्दुल करीम पुत्र नाज़ीर निवासी 786 नगर, 3. रिहान पुत्र प्रवेज निवासीगण जैन कालोनी, इलाही मस्जिद, सहारनपुर, 4 आशु पुत्र दिलबहार निवासी अहमद नगर द्वारा वादी के पुत्र अतहर के साथ गाली गलौच करना व जान से मारने की नियत से गले पर चाकू मारने व वादी के पुत्र अतहर का गला कट जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या के प्रयास की घटना में वांछित **अभियुक्त अशवत उर्फ असवद पुत्र इसरार निवासी हसन कालोनी, निवासी भूरे वाली मस्जिद, सहारनपुर हाल पता 786 नगर खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को कलसिया रोड कब्रिस्तान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त अशवत उर्फ असवद घटना का मुख्य आरोपी है**। मुकदमो उपरोक्त में दिनांक 18.03.2025 को 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त अशवत उर्फ असवद ने बताया कि अतहर की मेरे साथ किसी बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। जिस कारण मै और मेरे दोस्त अब्दुल करीम ,रिहान व आशु उससे दुश्मनी रखते थे। दिनांक 09.03.2025 की रात्रि को करीब 09.30 बजे मैं व मेरे दोस्त अब्दुल करीम, आशु तथा रिहान रहमानिया मस्जिद के पास खडे थे। तभी अतहर अपने दोस्त के साथ उसी मस्जिद के सामने से जा रहा था। कुछ दुरी पर जाने के बाद जैसे ही अतहर अहमद नगर चौक के पास पहुँचा तो हम तीनो ने उस पर जान से मारने की नियत से घेर लिया था और मैने (अशवद) पेपर कटर से अतहर का गला काट दिया था। जिससे उसके गले से काफी खून निकलने लगा।फिर हम सभी वहाँ से डर कर भाग गये थे और पेपर कटर को तोडकर मैने अपने दोस्त आशु उर्फ दिलशाद को फेकने के लिये दे दिया था। आज जब मैं काफी दिनो के बाद अपने परिवारजनो से मिलने आ रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अशवत उर्फ असवद पुत्र इसरार निवासी हसन कालोनी, निवासी भूरे वाली मस्जिद, सहारनपुर हाल पता 786 नगर खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 717 कपिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्त अमर सिंह पुत्र भागमल निवासी ग्राम ठसका थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1550/22 मु0अ0स0 78/11 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में ग्राम ठसका से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमर सिंह पुत्र भागमल नि0 ग्राम ठसका थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 09 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

अवगत कराना है कि दिनांक 29.11.2014 को वादी उप निरीक्षक श्री धीरेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.शमशेर पुत्र नुरमौहम्द निवासी टांडा थाना छपरोली जनपद बागपत 2. आकिल पुत्र फैरियाज 3. काला पुत्र शहीद अहमद निवासीगण दयालपुर थाना बेहट , सहारनपुर द्वारा एकराय होकर लाठी व डण्डो से लैस होकर से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला करने की सूचना पर मु0अ0स0-290/2014 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 614/15 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 09.04.2025 को अभियुक्त 1. शमशेर पुत्र नुरमौहम्द को मु0अ0स0-290/2014 धारा 147,148,149,307 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 09 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभियुक्तगण 1.आकिल पुत्र फैरियाज व 2. काला पुत्र शहीद अहमद को दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक निरीक्षक श्री राधेश्याम सिंह
पैरोकार का0 253 -मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।